

30.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी वकील अनुपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन  
पाया वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई  
कार्यवाही नही चाही जा रही है प्रकरण काफी पुराना  
103/2017 का है। तलबी स्तर पर चल रहा है।  
वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई  
गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी  
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व  
वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण  
वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार  
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम  
की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

*(Handwritten Signature)*

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
रुम्मान

